प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

दीवानी अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील संख्या 5870/2015

घेवरचंद एवं अन्य - अपीलार्थी गण

विरुद्ध

मैसर्स महेन्दर सिंह एवं अन्य- प्रत्यर्थी गण

निर्णय

न्यायमूर्ति श्री अभय मनोहर सप्रे

1 . यह अपील माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर द्वारा एस बी सिविल प्रथम अपील संख्या 52 / 1997 में पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.12.2006 के विरुद्ध दाखिल की गई है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी गण (प्रतिवादीगण) की अपील को मंजूर करते हुए अतिरिक्त जिला जज संख्या 3 जोधपुर द्वारा सिविल मुकदमा संख्या 135/1995 (146/1978) में पारित निर्णय तथा डिक्री दिनांक 30.10.1996 को अपास्त करते हुए अपीलार्थी गण (वादीगण) के मुक़दमे को समय सीमा बाधित मानकर खारिज कर दिया |

2. इस अपील में निहित प्रश्न पर विचार करने के लिए कुछ तथ्यों पर विचार कर लेना आवश्यक है |

3. इस सिविल वाद में अपीलार्थी वादीगण हैं जबकि प्रत्यर्थी गण (प्रतिवादीगण) हैं जिससे यह अपील उद्भूत हुआ है |

4.इस अपील में निहित मुख्य संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की प्रथम अपील को स्वीकार कर अपीलार्थी गण (वादीगण) के मुक़दमे को समय बाधित कहकर खारिज करना न्याय संगत है ?

5. अपीलार्थी गण (वादीगण) ने प्रत्यर्थी गण (प्रतिवादीगण) के विरुद्ध वाद गत परिसर के सम्बन्ध में दीवानी मुकदमा कर दिया जैसा की इस वादपत्र के प्रस्तर 1 में दिया गया है और उन्होंने प्रस्तर 26(3) में वर्णित निम्नलिखित राहतों की मांग की -

26. वादीगण नम्रतापूर्वक यह अनुनय करते हैं कि -

1. वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्वत्व घोषणा की डिक्री पारित की जाए और इस वाद के प्रस्तर 1 में जैसा वर्णित है कि यह परिसर श्री ओसवाल सिंह सभा जोधपुर से सम्बन्ध रखता है और प्रतिवादीगण श्री किशन सिंह का इसपर कोई स्वामित्व अधिकार नहीं है |

2. वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी व्यादेश पारित किया जाए कि प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार का दावा करने, किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने तथा विवादित परिसर के अधिकार में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने से हमेशा के लिए रोका जाए |

3. उपरोक्त परिसर का कब्ज़ा प्रापक से लेकर वादी को दिलवाया जाए |

4. उपरोक्त वाद का व्यय प्रतिवादी से वादी को दिलवाया जाए |

5. अन्य कोई राहत, जिससे माननीय न्यायालय उचित समझे, भी वादी को दिलवाया जाए |

6. प्रत्यर्थी गण (प्रतिवादीगण) ने लिखित जवाब दाखिल किया और तथ्य और विधि से जुड़े मुद्दों पर वाद में लगाये गए प्रमुख आरोपों को अस्वीकार किया | इसके साथ साथ प्रतिवादीगण ने यह आपत्ति भी उठाई है कि यह वाद समय सीमा से बाधित है |

7. विचारण न्यायालय ने निर्णय / डिक्री के द्वारा समयसीमा सहित सभी विधि गत प्रश्नों का उत्तर अपीलार्थी गण के पक्ष में और प्रतिवादीगण के विरुद्ध देते हुए तदनुसार डिक्री पारित कर दी |यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी वाद गत परिसर के स्वामी हैं और वे प्रतिवादीगण से इस वाद गत परिसर का कब्ज़ा लेने हेतु अधिकृत हैं और अंततः यह वाद समयसीमा के भीतर है |

8. प्रत्यर्थी गण (प्रतिवादीगण) ने व्यथित होकर माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर में प्रथम अपील दाखिल की | आलोच्य निर्णय के द्वारा, एकल बेंच ने अपील को मंजूर करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री को अपास्त करते हुए, परिणामस्वरूप वाद को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि वाद समय सीमा बाधित है| दूसरे शब्दों में, माननीय उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के सभी तथ्यतः निष्कर्षों को अपीलार्थी (गण) के पक्ष में मान्य ठहराया लेकिन समयसीमा के मुद्दे पर निर्णय को पलट दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि क्योंकि यह वाद भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत निर्धारित समयसीमा से बाधित है, अतः इस वाद को

समय सीमा आधार पर खारिज किया जाता है | प्रस्तुत वाद में इसी मत को लेकर प्रतिवादीगण की अपील को मंजूर किया गया और वाद को भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत निर्धारित समयसीमा के बाद दायर किये जाने के कारण समय सीमा बाधित मानकर खारिज कर दिया गया जिसके कारण वादीगण ने इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की |

9. श्री एस. के जैन वरिष्ठ अधिवक्ता अपीलार्थीगण (वादीगण) के लिए उपस्थित हुए जबकि प्रतिवादीगण की ओर से सम्मन के बावजूद कोई हाजिर नहीं हुआ |

10. अपीलार्थीगण (वादीगण) के लिए उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना गया और वाद अभिलेख का अवलोकन करने के उपरांत, हमारा मत अपील को मंजूर करने का है और आलोच्य निर्णय को केवल इसी सीमा तक संशोधित करने का है जहां तक यह निर्णीत किया गया है कि वाद समय सीमा बाधित है और परिणामतः, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि वाद समय सीमा के अंतर्गत दायर किया गया, विचारण न्यायालय के निर्णय को कायम रखा जाता है।

11. हमारे सुविचारित मत से, विचारण न्यायालय का यह मत न्यायसंगत था कि वादी (इसमें अपीलार्थी) द्वारा वाद समयसीमा के अंतर्गत ही दायर किया गया जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष को पलटा जाना उचित नहीं था |ऐसा हम निम्नलिखित कारणों से कहते हैं -

12. विचारण न्यायालय के निर्णय के अवलोकन पर, हम यह पाते हैं कि विचारण न्यायालय ने इस वाद को समय के भीतर घोषित करने के लिए परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 65 को आधार माना क्योंकि यह वाद परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 65 में निर्धारित वाद हेतुक के प्रोद्भवन के 12 वर्ष के भीतर ही दायर किया गया है |

13. हालांकि माननीय उच्च न्यायालय का मत यह था कि वादीगण(अपीलार्थी गण) का प्रत्यर्थी गण (प्रतिवादीगण) के विरुद्ध वाद अनिवार्य रूप से उद्घोषणा और परिणामतः व्यादेश के लिए था और इसीलिए, यह तीन वर्षों की समय सीमा से शासित होना चाहिए और इस समय सीमा की गणना वाद हेतुक के प्रथम प्रोद्भवन से की जानी चाहिए | यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूँकि वाद तीन वर्षो की समय सीमा के भीतर दायर नहीं किया गया, अतः इसे समय सीमा बाधित माना गया|

14. इस विषय पर माननीय उच्च न्यायालय का मत उद्धृत करना उचित होगा-

" हालाँकि आदेश दिनांक 20. 09.1983 के सम्बन्ध में वादीगण द्वारा कुछ भी अभिवचन नहीं किया गया और वाद को केवल इसके वास्तविक रूप में ही सुना गया | वादीगण की ओर से कब्ज़े के लिए वाद चलाने सम्बन्धी जान बूझकर लोप पर, विद्वान अधिवक्ता श्री मेहता द्वारा परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 65 के सम्बन्ध में दिए गए तर्कों का कोई महत्व नहीं है | यह वाद केवल उद्घोषण और परिणामतः व्यादेश के लिए था और स्वीकृत रूप से वाद हेतुक के प्रथम प्रोद्भवन की तिथि से तीन वर्षों की निर्धारित अवधि के बहुत समय बाद दायर किये जाने के कारण स्पष्टतया समयसीमा बाधित है और तदनुसार खारिज किये जाने योग्य है |

15. तथ्य सम्बन्धी किसी भी विवाद और विस्तृत दलीलों पर विचार किये बिना, जिन्हे हम अनावश्यक समझते हैं , हमारे मत से माननीय उच्च न्यायालय का यह प्रेक्षण तथ्यात्मक रूप से सही नहीं था कि यह वाद केवल उद्घोषणा और व्यादेश के लिए किया गया तथा कब्ज़े के लिए नहीं | (उपरोक्त रेखांकित अंश देखें)

16. हमारे मत से इस वाद पत्र के प्रस्तर 5 में उद्धृत उपधारा 26 (3) में प्रार्थित राहत के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से वाद गत परिसर के कब्ज़े की डिक्री करने की प्रार्थना भी की है |

17. यह तथ्य विवादित नहीं है जैसा कि दलीलों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद गत परिसर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 145 के अंतर्गत दोनों पक्षकारों के बीच सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही के अधीन है जिसमें दोनों ही पक्षकार एक दुसरे के विरुद्ध वाद गत परिसर के सम्बन्ध में अपने कब्ज़े सहित अपने अधिकार, स्वत्व और हित का दावा कर रहे हैं | यह भी विवादित नहीं है कि सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश दिनांक 23. 12. 1996 के द्वारा, वाद गत परिसर को कुर्क कर दिया था |

18. इसी कारण से वादीगण ने 19.12.1978 को वाद गत परिसर पर अपने स्वत्व की उद्घोषणा का दावा करने, व्यादेश तथा कब्ज़े के लिए प्रतिवादीगण के विरुद्ध दीवानी वाद दायर किया | चूँकि वाद उद्घोषणा, स्थायी व्यादेश तथा कब्ज़े के लिए था , अतः परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 65

लागू होगा जिसमें वाद दायर करने के लिए 12 वर्ष की समय सीमा निर्धारित है जिसे उस तिथि से गिना जाना होता है जब से प्रतिवादी का स्वामित्व वादीगण के लिए प्रतिकूल हो गया |

19. वाद-पत्र में लगाए गए आरोपों के अनुसार, प्रतिवादीगण का वाद गत परिसर पर स्वामित्व, वादीगण के अनुसार, कब्ज़ा उस समय प्रतिकूल हुआ जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 की कार्यवाही के तहत प्रतिवादीगण ने प्रथम बार उपरोक्त परिसर में अपने अधिकार, स्वामित्व तथा अपने हित के दावे को वादीगण की जानकारी में लाया और जिसमें बाद में सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा 23.12.1996 को कुर्की आदेश पारित कर दिया गया। वादीगण के अनुसार, प्रतिवादीगण द्वारा किये गए उपरोक्त कार्य से , वादीगण के उपरोक्त परिसर में अधिकार स्वामित्व तथा हित को संदेहास्पद बनाया और इस प्रकार उनको प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद गत परिसर पर स्वामित्व की घोषणा का दावा तथा अन्य परिणामी राहतों का दावा करने के लिए उद्धत किया| (वाद का प्रस्तर 23 देखें)

20 . हमारे मत में, वादीगण ने कुर्की आदेश दिनांक 23. 12 .1996 से 12 वर्ष की समय सीमा के भीतर , उचित ही दीवानी वाद 19 .12.1978 को दायर किया है | प्रतिवादीगण का वाद गत परिसर पर अधिकार, स्वत्व तथा उपरोक्त परिसर मे हित को वादी गण ने प्रथम बार सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 की कार्यवाही के तहत दृष्टि गत किया और तब उद्घोषणा और परिसर पर कब्ज़े के लिए उनका वाद दायर करना न्याय संगत था | अतः विचारण न्यायालय द्वारा परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 65 लागू करते हुए वाद को समय सीमा के भीतर ठहराना न्याय संगत था |

21. समय सीमा के प्रश्न को निर्णीत करने के लिए , कि क्या वाद निर्धारित समय सीमा में दायर किया गया अथवा नहीं, न्यायालय को केवल वादपत्र में आरोपों को देखे जाने और वादीगण ने किस प्रकार वाद हेतुक के प्रोद्भवन हेतु दलील दी है , यह देखे जाने की आवश्यकता है | इस वाद में, हम यह पाते हैं की वादीगण ने वाद की निर्धारित समय सीमा वाली शर्त को संतुष्ट करके वाद को समयसीमा में ही दायर किया है |

22. उपरोक्त के अनुसार, प्रत्यर्थी गण (प्रतिवादीगण) सभी दृष्टिकोणों से इस वाद में असफल होते हैं क्योंकि वे न तो वाद गत परिसर पर अपना स्वत्व और न ही विधिसम्मत कब्ज़ा साबित कर सके हैं | वे माननीय उच्च न्यायालय में केवल समय सीमा के बिंदु पर ही सफल हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप वादीगण का दावा खारिज कर दिया गया क्योंकि प्रतिवादीगण ने इस अपील में दोनों ही न्यायालय द्वारा पाये गये प्रतिकूल निष्कर्षों के विरुद्ध कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई , इसीलिए इस अपील में उन निष्कर्षों की वैधता और औचित्य पर इस न्यायालय द्वारा विचार किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है |

23. उपरोक्त विचार विमर्श की रोशनी में, हम माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय सीमा के प्रश्न पर लिए गए निर्णय से सहमत नहीं हैं | यह कानूनी रूप से संधारणीय नहीं है और तदनुसार अपास्त किये जाने योग्य है |

24. अपील सफल होती है और तदनुसार मंजूर की जाती है | आलोच्य निर्णय को केवल उसी सीमा तक , जहाँ तक यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलार्थी गण (वादीगण)के वाद को समय सीमा बाधित होने के कारण निरस्त किया जाता है, को एतद द्वारा अपास्त किया जाता है | परिणाम स्वरुप ,अपीलार्थी गण (वादीगण) के पक्ष में विचारण न्यायालय के निर्णय तथा डिक्री को कायम रखा जाता है |

न्यायमूर्ति श्री अभय मनोहर सप्रे

न्यायमूर्ति श्री अब्दुल नजीर

नई दिल्ली, 20 सितम्बर 2018

खंडन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा |